प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

समाचार

सभी प्रदेशवासियों को ''शैल'' परिवार की ओर से नववर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनायें

ई–पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक–52 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 24–31 दिसम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

वीरभद्र के मण्डी से उम्मीदवारी के ऐलान से सियासी हल्कों में बढ़ी हलचल

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और छः बार मुख्यमन्त्री रह चुके वीरभद्र सिंह ने मण्डी से लोकसभा के अगामी चुनावों में उम्मीदवार होने के लिये अपनी सहमति जाहिर कर दी है। इसमें एक ही शर्त रखी है कि चुनाव लड़ने के लिये पार्टी हाईकमान उन्हें कहेगी तो? इसी के साथ वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर और कांगड़ा लोस सीटों के लिये जिन उम्मीदवारों की सार्वजनिक संस्तुति की थी अब उस स्टैण्ड से ही हट गये हैं। एक अरसे से वीरभद्र सिंह ने सुक्खु को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर खामोशी ओढ़ ली है। जबकि एक समय सुक्खु को हटवाना ही उनकी प्राथमिकता थी। बल्कि जब यह कहा गया था कि मण्डी से उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नही हो सकता है तब उन्होने यहां तक कह दिया था कि कोई भीम मकरझण्डू यहां से लड़ लेगा। वीरभद्र की इस प्रतिक्रिया को सीधे –सीधे ''जयराम की सार्वजनिक मद्द की घोषणा'' करार दिया गया था। वीरभद्र के सुक्खु विरोध को भाजपा पूरी तरह भुना रही थी यह माना जा रहा था कि जयराम को वीरभद्र का सहयोग और आर्शीवाद दोनों प्राप्त है। इस धारणा पर उस समय मोहर भी लग गयी थी जब वीरभद्र ने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया था कि कांग्रेस अभी जयराम को विधानसभा में नही घेरेगी और उन्हें समय दिया जाना चाहिये।

वीरभद्र सिंह का यह स्टैण्ड पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले था। लेकिन जैसे ही यह चुनाव परिणाम आये और भाजपा सभी जगह हार गयी तथा कांग्रेस तीन राज्यों में भाजपा से सत्ता छीन कर स्वयं सरकार में आ गयी तभी वीरभद्र सिंह के स्वर बदल गये। इस बदलाव की पहली झलक तब आयी जब वीरभद्र के विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए दो अधिकारियों संजय कुण्डु और प्रवीण गुप्ता पर सीधे हमला बोला। इसी पत्रकार वार्ता में विक्रमादित्य ने मन्त्री महेन्द्र सिंह के दोनों विभागों आईपीएच और बागवानी पर गंभीर आरोप लगायें। महेन्द्र सिंह और वीरभद्र सिंह के रिश्तो में कड़वाहट जगजाहिर है। महेन्द्र सिंह ही इस समय जयराम के सबसे अनुभवी मन्त्री हैं। कांग्रेस के आरोप पत्र में वही सारे आरोप है जो विक्रमादित्य सिंह की प्रैस वार्ता में सामने आये थे। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के आरोप पत्र में दर्ज सारे आरोपो की न केवल

वीरभद्र सिंह को जानकारी ही रही है बल्कि उनका पूरा समर्थन भी रहा है। वीरभद्र सिंह का यह कहना है कि उन्होंने आरोप पत्र को पढ़ा ही नही है। यह एक अलग रणनीति है क्योंकि उन्होंने यह नही कहा है कि वह इन आरोपों से सहमत नही है। यह आरोप आने वाले समय में जयराम सरकार के लिये सिरदर्द बनेंगे इसमें कोई दो राय नही हो सकती। वीरभद्र छः बार इस प्रदेश के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं इस नाते वह पूरे प्रशासन को अच्छी तरह समझते हैं। बल्कि यह माना जा रहा है कि आज भी सरकार की सारी अन्दर की सूचनाएं उन तक पहुंच जाती है। वीरभद्र सिंह प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से परिचित हैं और हर जगह उनके समर्थक मिल जायेंगे। ऐसे में जो लोग यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस के अन्दर सुक्खु टीम के प्रति वीरभद्र सिंह के विरोधी तेवरों से भाजपा को लाभ मिलेगा आज वीरभद्र सिंह की मण्डी से उम्मीदवारी पर सहमति से एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि वीरभद्र की इस सक्रियता का प्रदेश की चारों सीटों पर प्रभाव पड़ेगा यह तय है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत मातृवन्दना को दी गयी जमीन पर उठे सवाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने आरएसएस की ईकाई मातृवन्दना को उसकी गतिविधियों के संचालन के लिये नगर निगम शिमला क्षेत्र में 22669.38 वर्ग मीटर भूमि लीज़ पर दी है। यह भूमि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में आती है इस कारण से इसमें नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिये था। इसके लिये यह मामला नगर निगम को भेजा गया और निगम प्रशासन ने मातृवन्दना से आये इस प्रस्ताव को निगम की बैठक में विचार के लिये प्रस्तुत कर दिया निगम के हाऊस ने इस पर विचार करके इसे अनुमोदित करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

मातृवन्दना से जब इसके लिये प्रस्ताव आया तब निगम प्रशासन ने इस प्रस्ताव को निगम हाऊस में रखने के लिये जो प्रारूप तैयार किया उसमें स्पष्ट कहा गया था कि राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार का कब्जा स्वयं तावे हुकम्म बर्तन दारान है। सम्बन्धित भूभाग नगर निगम की परिधि में आता है परन्तु नगर निगम शिमला न तो भूमि का मालिक है न ही कब्जाधारी है। निगम की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि यह भूमि सरकार की है और कब्जा बर्तन दारान का है। इस नाते यह भूमि विलेज कॉमन लैण्ड की परिभाषा में आती है।

सर्वोच्च न्यायालय के 28–1–2011 को आये फैसले में इन जमीनों के ऐसे आवंटन पर रोक लगा रखी है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा हैं ...

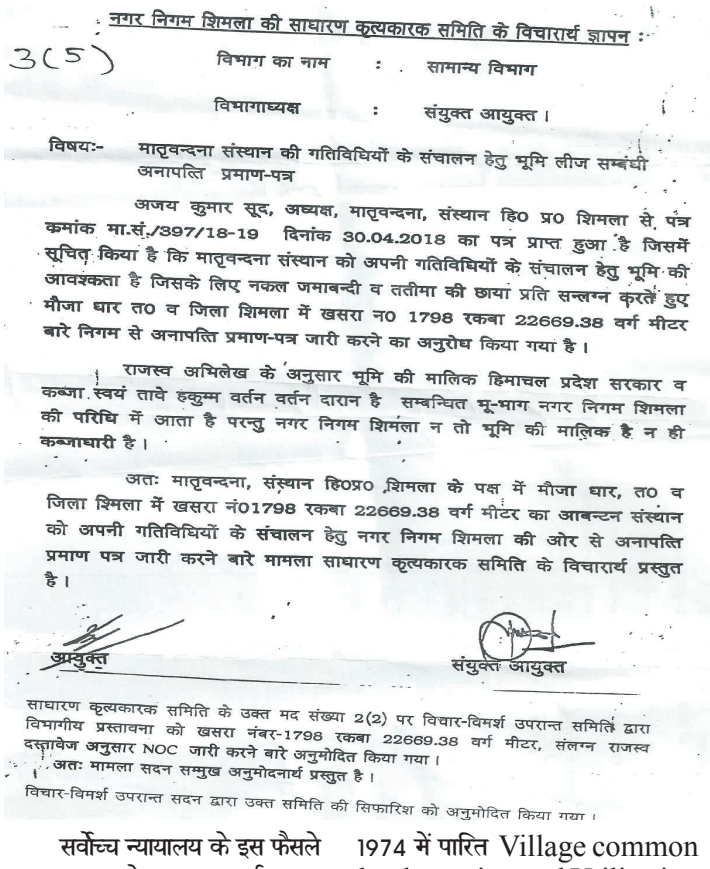

नगर निगम शिमला की साधारण कृत्यकारक समिति के विचारार्थ ज्ञापन :

305

विभाग का नाम : सामान्य विभाग

विभागाध्यक्ष : संयुक्त आयुक्त ।

विषयः- मातृवन्दना संस्थान की गतिविधियों के संचालन हेतु भूमि लीज सम्बंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अजय कुमार सूद, अध्यक्ष, मातृवन्दना, संस्थान हि0 प्र0 शिमला से, पत्र कमांक मा.सं./397/18-19 दिनांक 30.04.2018 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सूचित किया है कि मातृवन्दना संस्थान को अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु भूमि की आवश्कता है जिसके लिए नकल जमाबन्दी व ततीमा की छाया प्रति सन्लग्न करते हुए मौजा धार त0 व जिला शिमला में खसरा न0 1798 रकबा 22669.38 वर्ग मीटर बारे निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार व कब्जा स्वयं तावे हकुम्म वर्तन वर्तन दारान है सम्बन्धित भू-भाग नगर निगम शिमला की परिधि में आता है परन्तु नगर निगम शिमला न तो भूमि की मालिक है न ही कब्जाधारी है।

अतः मातृवन्दना, संस्थान हि0प्र0 शिमला के पक्ष में मौजा धार, त0 व जिला शिमला में खसरा नं01798 रकबा 22669.38 वर्ग मीटर का आबन्टन संस्थान को अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु नगर निगम शिमला की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे मामला साधारण कृत्यकारक समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

अयुक्त संयुक्त आयुक्त

साधारण कृत्यकारक समिति के उक्त मद संख्या 2(2) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को खसरा नंबर-1798 रकबा 22669.38 वर्ग मीटर, संलग्न राजस्व दस्तावेज अनुसार NOC जारी करने बारे अनुमोदित किया गया।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर अमल करते हुए 10 मार्च 2011 को ही सारे जिलाधीशों को आवश्यक कारवाई के निर्देश जारी कर दिये और 29 अप्रैल को इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय को भी सूचित कर दिया था। विलेज कॉमन लैण्ड का आवंटन सरकार 1974 में पारित Village common lands vesting and Utilisation Act. के तहत करती है। इस एक्ट में 1981, 2016 और 2017 में संशोधन किये गये हैं और इसमें राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं के मुताबिक भी एक बीघा जमीन देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह सरकार के अपने संशोधन के मुताबिक भी एक बीघा से अधिक जमीन देने का प्रावधान नही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ऐसी जमीनों के आवंटन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया है और ऐसे आवंटनों का प्रावधान करने वाले सारे निमयों/कानूनों को एकदम गैर कानूनी करार दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और सरकार के अपने ही संशोधन के मुताबिक मातृवन्दना को इतनी जमीन नही दी जा सकती है। इस कारण से कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में भी यह मुद्दा उठाया है।

शीर्ष अदालत के फैसले और सरकार के अपने ही संशोधन के बारे में संवद्ध प्रशासन को जानकारी होनी ही चाहिये और रही भी होगी। लेकिन इस सबके बाद भी करीब 30 बीघा जमीन का आंवटन कर देना निश्चित रूप से सरकार पर गंभीर सवाल उठाता है इस आवंटन को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरकार ने इस आवंटन के लिये प्रशासन पर दबाव डाला गया या प्रशासन ने मुख्यमन्त्री के सामने सही स्थिति ही नहीं रखी। स्थिति जो भी रही हो इसका परिणाम सरकार के लिये सुखद नही होगा।

यह है कांग्रेस का सरकार के खिलाफ आरोप पत्र, 18 पन्नों में दर्ज किये 35 आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल में एक वर्ष के भाजपा शासन को सरकार के खराब वित्तीय स्वास्थ्य के बावजूद असफल वादों खराब शासन, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और अपव्यय के वर्ष के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

आरएसएस और ऐसे अन्य कट्टर संगठनों द्वारा निर्देशित, जय राम सरकार व्यवस्थित रूप से भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है जो विभाजनकारी राजनीति का एक आदर्श उदाहरण है जिसका उद्देश्य मात्र राजनीतिक लाभ के लिए लोगों का ध्रुवीकरण करना है। राज्य का ऋण जाल 50,000 करोड़ रुपये को छू रहा है और सरकार ने एक वर्ष के भीतर 3,000 करोड़ रुपये का ऋण उठाया है। सरकार का पूरा जोर और ध्यान भाजपा कार्यकताओं और समर्थकों को देने में रहा है। विभिन्न तिमाहियों के दबाव में काम करते हुए मुख्यमंत्री कुशल प्रशासन देने में विफल रहे हैं। प्रधान विपक्षी दल होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह राज्य और उसके लोगों के बड़े हित में कमियों विफलताओं, अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को उजागर करे।

बाबा रामदेव को पट्टे के आधार पर भूमि का अनुदान द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाना

जनवरी 2010 में योग केंद्र और हर्बल गार्डन की स्थापना के लिए जिला सोलन में साधुपुल के पास ट्रस्टको लीज पर 28 एकड़ (96.2 बीघा) जमीन दी गई थी। करोड़ों की मूल्य वाली बहुमूल्य भूमि, भाजपा के करीबी स्वामी को 17,31,214 रु में लीज पर दी गई थी। सत्ता संभालने पर कांग्रेस ने राज्य के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए पट्टे को रद्द करने का फैसला लिया क्योंकि भाजपा शासनकाल के इस कदम से आर्थिक मंदी से जूझती हुई हिमाचल सरकार को नकदी का भारी नुकसान था। ट्रस्ट भूमि के पट्टे को रद्द करने के खिलाफ चला गया।

हालाँकि, ट्रस्ट ने 2017 में सरकार के समक्ष एक अर्जी दी जिसमें केस वापस लेने के लिए लीज अलॉटमेंट पर पुनर्विचार करने का आग्रह था।

राज्य सरकार ने ट्रस्ट द्वारा अनुरोध के जवाब में मई 2017 में पट्टे की राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया। हालाँकि, चूंकि इस कदम से सरकार को नुकसान हुआ होगा, इसलिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

दिसंबर 2017 में सरकार बनाने के बाद वर्तमान बीजेपी सरकार ने स्वामी रामदेव के प्रति आभार जताने का फैसला किया। सरकार को जो नुकसान उठाना पड़ेगा, उस पर ध्यान न देते हुए, राज्य सरकार ने लीज राशि को 27 करोड़ रुपये से घटाकर 2.39 करोड़ रुपये कर दिया। यह इस तथ्य के बावजूद कि ट्रस्ट को दी गई जमीन का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये था।

लीज को इस आधार पर दिया गया कि यह परियोजना सार्वजनिक हित में है। हालांकि, यह सर्वविदित है कि 10000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ पतंजलि ट्रस्ट, योग गुरु द्वारा संचालित एक व्यवसायिक साम्राज्य से कम नहीं है। यह एक सोचकर छोड़ जाता है कि जब ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बाजार में पूरी कीमत पर बेचा जाता है तो राज्य या उसके लोग इससे कैसे लाभान्वित होंगे। इससे यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने राज्य और उसके लोगों की तुलना में रामदेव के व्यापारिक हित की रक्षा को चुना है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भूमि एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती संसाधन है, जिसे एक व्यवसायिक घराने कौड़ियों के भाव को नहीं दिया जा सकता है और वह भी मामूली दरों पर, केवल अपने लाभ को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यवसायिक ट्रस्ट पहले से ही करोड़ों में चल रहा है। यह पहली बार नहीं है, जब भाजपा सरकार अपने अमीर मित्रों को इतने कम दामों पर जमीन दे रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में टूटीकंडी में मातृवंदना संस्था को 22,669.38 वर्ग मीटर भूमि की मंजूरी दी जो कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है ताकि वह अपनी गतिविधियों को चला सके और 257.18 वर्ग मीटर जमीन नाभा में विवेकानंद केंद्र के पास है, जिसका स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के पास था।

सरकारी स्कूलों के छात्रों को समय पर स्कूल की पोशाक न उपलब्ध करने के लिए शिक्षा विभाग की विफलता

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के 8.5 लाख छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए सामग्री की खरीद में राज्य सरकार की विफलता, प्रशासनिक अधिकारियों की चूक और संबंधित अधिकारियों की सुस्ती का प्रतिबिंब है।

भले ही हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदाएं मंगाई गई थी लेकिन अंतिम निर्णय लेने में देरी हुई। देरी के लिए किसी विशेष कारणों का हवाला दिए बिना शिक्षा मंत्री के कार्यालय में निविदाओं को चार महीने से अधिक समय तक लंबित रखा गया था और बाद में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को बिना किसी कारण और तथ्यों के स्थानांतरित कर दिया गया था। यदि सरकार को किसी भी अनियमितता का संदेह था, तो उन्हें समय पर नए सिरे से निविदाओं को बुलाना चाहिए था ताकि छात्रों, जिनमें से कई आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि से थे, को समय पर वर्दी मिल गई होती।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि पहली, तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा के छात्रों को स्कूल बैग दिए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार इस मोर्चे पर भी विफल रही। सरकारी स्कूलों के छात्रों को बजट घोषणा के बावजूद कोई स्कूल बैग उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि तथ्य यह है कि कुछ अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक की वजह से बिना किसी कारण के चार महीने तक निविदाएं लंबित रखी गई

कंपनी विशेष को लाभान्वित करने के लिए विद्युत बसों की खरीद के लिए विनिर्देश स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन

केंद्रीय उद्योग मंत्रालय की भारी सहायता के साथ शिमला शहर के लिए 50 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मुंबई के उच्च न्यायालय के वकील रघुनाथ महाबल द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार, वर्तमान भाजपा सरकार ने बस और एएमसी वार्षिक रखरखाव अनुबंध की लागत को अलग कर दिया है और सरकार केवल बसों की खरीद के लिए जा रही है। किसी विशेष कंपनी को लाभ देने के लिए निविदा दस्तावेज के विनिदेर्शों को बदल दिया गया है। ऐसी आशंकाएं हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा खरीदे गए 180 हार्स पावर की तुलना में वाहनों की हॉर्स पावर 80 हॉर्स पावर तक कम हो गई है। हालांकि इससे बस की लागत में कमी आई है लेकिन यह स्पष्ट रूप से बसों की दक्षता और प्रदर्शन को प्रभावित करेगा।

राज्यपाल को भी शिकायत सौंपी गई है जिन्होंने कथित तौर पर इसे राज्य सरकार को भेजा है। इस संबंध में एक याचिका उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में भी दायर की गई है। पिछली बसों को पूरी तरह से परीक्षण के बाद खरीदा गया था ताकि खड़ी ढलान पर उनकी दक्षता और प्रदर्शन की जांच की जा सके। पहले वार्षिक रखरखाव अनुबंध एएमसी मुख्य खरीद अनुबंध का हिस्सा था क्योंकि इलेक्ट्रिक बस तकनीक भारत में अभी भी अपने प्रारंभिक अवस्था में है और एएमसी खंड के बिना और बिना इस प्रावधान के बसों की खरीद के लिए भारी निवेश बेकार साबित हो जाएगा।

बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद ट्रांसफर उद्योग को बढ़ावा

हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में ट्रांसफर इंडस्ट्री में तेजी आई, क्योंकि एक लाख से अधिक तबादलों का आदेश दिया गया, केवल आम लोगों और कांग्रेस नेताओं के करीबी लोगों को पीड़ित करने के लिए। यह इस वास्तविकता के बावजूद किया गया, कि शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों में इस तरह के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से छात्रों और रोगियों को असुविधा होगी ।

राजनीतिक प्रतिशोध से उन्मुक्त, बीजेपी सरकार ने हिमाचल के इतिहास में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिएए ताकि बड़े पैमाने पर तबादलों का आदेश दिया जा सके।

कांग्रेस परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और किसी भी कांग्रेस पार्टी के करीबी लोगों को परेशान किया गया और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया थाए बस उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी राजनीतिक निष्ठा से वापस भाजपा में पाने के लिए।

इससे भी बड़ी चिंताजनक बात यह थी कि इस फलते-फूलते स्थानांतरण उद्योग के माध्यम से भाजपा नेताओं के एक वर्ग ने पैसे का अर्जन किया। यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि बड़ी संख्या में स्थानांतरण मामलों में, उत्पीड़ित कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दिया था, और यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि उन्हें राजनीतिक विचारों पर परेशान किया गया था।

सरकार ने विकलांग कर्मचारियों और उन लोगों को भी नहीं बख्शा जो सेवानिवृति की कगार पर थे, उन्हें अपने घरों से दूर स्थानांतरित करने के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार के मामलों को वापिस लेना

कानून को अपना काम करने देने देने के बजाय, राज्य सरकार ने भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा नेताओं और कार्यकताओं के खिलाफ कानून को तोड़ने के दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के 19 मामलों को वापस ले लिया या वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। यह सब सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष और नाहन के विधायक डॉ राजीव बिंदल जैसे नेताओं के लिए क्लीन चिट पाने के लिए किया गया है जो सोलन नगर समिति में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में सामना कर रहे है।

इसी तरह पी के धूमल और उनके बेटे, हमीरपुर के लोकसभा सांसद, अनुराग ठाकुर पर उदारता बरती जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए भूमि आवंटन में अनियमितता के मामलों का सामना कर रहे हैं, किसके वो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी तरह की कवायद अन्य भाजपा नेताओं के सामने आने वाले मामलों पर रोक लगाके की जा रही है।

अगर इस तरह के मामलों का सामना करने वाले भाजपा नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया है और डरने की कोई बात नहीं है तो अदालतों को मामले को योग्यता के आधार पर तय करने दें। कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है तो उन्हें अदालत से राहत मिल जाएगी। अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो केस वापस लेने की भाजपा सरकार ने जल्दबाजी और चिंता क्यों दिखाई

हिमाचल प्रदेश बिजली नीति में परिवर्तन

भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर नीति में बदलाव केवल स्वतंत्र बिजली उत्पादक को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से दिया, जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर जलविद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। यह पहले के मानदंडों के विपरीत है, जहां बिजली उत्पादकों को राज्य सरकार को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली प्रदान करनी पड़ती थी।

राज्य विद्युत नीति में किए गए परिवर्तन के अनुसार, बिजली उत्पादकों को सरकार को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने से छूट दी गई है। इस संशोधन का लाभ 557 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 757 परियोजनाओं को जाना है। इसके कारण राज्य के सरकारी खजाने को लगभग 10,400 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होगा।

इसके अलावा एसजेवीएन के विलय की आशंका के रूप में एसजेवीएन से 12000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के नुकसान का खतरा है क्योंकि एसजेवीएन का एनटीपीसी में विलय केंद्र सरकार के एजेंडे में है, और यह राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस विलय से बचाकर इस पहलू पर प्रदेश के वित्तीय और कार्यात्मक हितों की रक्षा करे।

69 राष्ट्रीय राजमार्गो पर कोई काम नहीं

हिमाचल में 69 राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बावजूद, वस्तुत: कोई प्रगति नहीं हुई है। भाजपा ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस घोषणा का बड़ा चुनावी प्रचार किया लेकिन जमीन पर बहुत कम प्रगति हुई है और दावे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जून 2016 में हिमाचल के लिए 69 राष्ट्रीय राजमार्गो एनएच की घोषणा की थी। हालांकि, 3800 किलोमीटर की लंबाई वाली इन सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया के बावजूद असामान्य देरी हो रही है।

भूमि अधिग्रहण का काम डीपीआर की तैयारी के बाद ही किया जा सकता है। सभी यह कयास लगा रहे हैं एक चमत्कार के रूप में हिमाचल को इस घोषणा का लाभ कब मिलेगा जो विधानसभा चुनावों में भाजपा को लाभ देने के लिए चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ है।

आउटसोर्स के प्रणाली अंतर्गत चोर दरवाजे से सरकारी भर्तियां

कांग्रेस शासन के दौरान, क्लास तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध पर नियमित आधार पर किए गए जबकि अब सभी नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही हैं। चुनाव घोषणा पत्र में, भाजपा ने राज्य के लोगों से वादा

शेष पृष्ठ 3 पर.....

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

यह है कांग्रेस का सरकार के खिलाफ आरोप पत्र

.....पृष्ठ 2 का शेष

किया था कि वे सरकारी नौकरियों में नियमित आधार पर रोजगार सक्षम करेंगे, लेकिन अब वे इससे पीछे हट गए हैं।

यह सब भाजपा आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को पिछले दरवाजे से प्रवेश प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। हाल के एक कदम में, 2300 पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई है और इसके अलावा 1000 कंडक्टरों की भर्ती एचआरटीसी, एचपीएसईबी फील्ड स्टाफ, और अन्य विभागों में इसी तरह से की जारी है।

परवाणू – सोलन और किरतपुर – मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लैनिंग का कार्य

परवाणू – सोलन – शिमला की चार लेनिंग कछुआ की चाल से आगे बढ़ रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। शिमला – चंडीगढ़ के बीच की यात्रा में पाँच से छह घंटे लगते हैं, जिससे राज्य के लोगों के साथ – साथ लाखों पर्यटक परेशान होते हैं, जो शिमला जाने के लिए इस मार्ग से जाते हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है।

अदालतें भी समय – समय पर राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई और राजमार्ग का निर्माण करने वाली एजेंसी को यातायात का निर्बाध आवागमन बाधित करने के लिए निर्देश जारी करती हैं। भूस्खलन हुए हैं और कई मौकों पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिससे इस सड़क पर यात्रा करने वालों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

पूरी सड़क सौंपने में देरी और अन्य बाधाओं ने काम की प्रगति को बाधित किया है। चंडीगढ़ से राज्य की राजधानी को अच्छी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य अभी भी एक दूर का सपना है और यह एक वांछनीय गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। किरतपुर – मनाली परियोजना को निष्पादित करने वाली पहले की कंपनी ने स्थानीय लोगों ठेकेदारों और ट्रक ऑपरेटरों को भुगतान किए बिना काम को आधा छोड़ दिया है। इस सड़क के सरेखण को कई स्थानों पर बदल दिया गया है और फिर उस क्षेत्र से निष्पादित किया जाता है जो इसके निष्पादन के लिए अधिग्रहित की जाती है।

किरतपुर – मनाली सड़क पर काम रुक गया है, जिससे इस सड़क पर यात्रा करने वालों को काफी कठिनाई हो रही है। इसने कुल्लू – मनाली घाटी में पर्यटन उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। पैसे मांगने को लेकर, दरंग भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर के बेटे के खिलाफ एक ठेकेदार रमेश द्वारा आरोप लगाए गए हैं।

अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप और सड़क निर्माण में लगे ठेकेदारों से पैसे की मांग करने के कारण काम रुक गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में बहुत रिक्तियां

राज्य में भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों का नतीजा स्वास्थ्य और शिक्षा के दो अति महत्वपूर्ण विभागों में पड़ी बहुत मात्रा में रिक्तियों का कारण है। इससे विशेषकर दूरदराज और कठिन क्षेत्रों के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य और पीड़ित छात्रों का अध्ययन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर, कुछ स्कूलों में एक या दो शिक्षकों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को पीड़ित होना पड़ता है।

स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण से लोगों को असुविधा हो रही है, विशेष रूप से दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में क्योंकि या तो कोई डॉक्टर नहीं हैं या वह विभिन्न संकायों में रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

पूर्व विधायक शिलाई बलदेव तोमर द्वारा विधायक निधि का दुरूपयोग

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब एक विधायक जैसा निर्वाचित प्रतिनिधि, विकास कार्यों के लिए नियोजित विधायक निधि का दुरूपयोग अपने और अपने परिवार के सार्वजनिक लाभ के लिए इस धन का उपयोग करता है। तत्कालीन शिलाई विधायक, बलदेव तोमर, जिन्हें अब नागरिक आपूर्ति निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ने शिलाई ब्लॉक में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए धन स्वीकृत किया था, लेकिन कार्यों का निष्पादन उनके पिता नैन सिंह तोमर ने किया। यह संदिग्ध है कि क्या इन कार्यों को वास्तव में जमीन पर निष्पादित किया गया था या नहीं, जिन्हें केवल निरीक्षण करने के बाद ही सत्यापित किया जा सकता है। पूर्व विधायक ने अपने परिवार को लाभ देने के लिए सभी कार्यों को अपने पिता द्वारा कार्यान्वित किया। शिलाई में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक शाखा में नैन सिंह तोमर के व्यक्तिगत खाते खाता संख्या 56810111811 में 47 लाख रुपये जमा किए गए थे।

शिलाई के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 2013 से 2017 के बीच काम करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी। आरोपों को प्रमाणित करने के लिए बैंक खाते का विवरण उपलब्ध है।

अवैध खनन एफकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अवैध रूप से लार्जी स्टोन क्रशर

राज्य भर में अवैध खनन हो रहा है और उद्योग विभाग की माइनिंग विंग और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों आँख बंद करके बैठी हैं। नदी के किनारों से रेत और बजरी को कानूनी प्रतिबंध के बावजूद उठाया जा रहा है। खनन, आवंटित जमीन पट्टे के बजाय अनाधिकृत क्षेत्रों पर किया जा रहा है, जिससे नदी के तट खुलते जा रहे हैं। जिससे बड़ी पारिस्थितिक क्षति हो सकती है। कांगड़ा के नूरपुर, सोलन के नालागढ़ और सिरमौर के पांवटा साहिब और ऊना और बिलासपुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है और मानदण्डों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

इस चिंताजनक स्थिति और अवैध खनन की जांच करने में अधिकारियों की विफलता के मद्देनजर यह स्थिति है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 मीटर नदियों और जल निकायों के भीतर स्थित सभी स्टोन क्रशर पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। एनजीटी ने मंडी के सरकाघाट इलाके में सरोजपिपलू में स्थित एक स्टोन क्रशर रेंजर के खिलाफ दर्ज शिकायत पर कार्रवाई की। विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए रेत और बजरी की भारी मांग है और इस प्रतिबंध से केवल अवैध खनन के संबंध में स्थिति और भी बदतर होगी और इस निर्माण सामग्री की कीमतें और बढ़ेंगी।

नागचला से औट के बीच फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही एफकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बालीचौकी तहसील की काउ पंचायत के शिल्ही लारजी में अवैध रूप से स्टोन क्रशर स्थापित कर रखा है। खनन विभाग ने कंपनी प्रबंधन पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है कंपनी ने स्टोन क्रशर लगाने के लिए न तो प्रशासन और न ही खनन विभाग से किसी तरह की अनुमति ली है। क्रशर बिजली बोर्ड की जमीन पर लगाया गया है और बिजली बोर्ड को लीज पर दी भूमि कैसे एफकॉन को दी गई।

उद्योग विभाग की उल्लंघनकताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके विपरीत, विभाग खनन माफिया को राजनीतिक आश्रय और संरक्षण प्रदान कर रहा है। इससे राज्य को राजस्व का नुकसान भी होता है जो पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, अवैध खनन के आरोपों को भाजपा के खुद के विधायक ने विधानसभा और मीडिया में भी लगाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अवैध खनन की जांच करने में विफल रही है क्योंकि माफिया राजनीतिक संरक्षण और आश्रय का आनंद लेते हैं और स्थानीय खनन और पुलिस विभागों के साथ हाथ में हैं।

सरकार द्वारा लक्जरी वाहन की खरीद में अनावश्यक फिजूल खर्च

जिस तरह से राज्यपाल के लिए 80 लाख रुपये की मर्सिडीज और मंत्रियों के लिए फॉरच्यूनर एसयूवी वाहनों की खरीद पर, राज्य सरकार पैसे की बौछार कर रही है, वह राज्य के गंभीर वित्तीय स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता और उदासीन रवैया दिखाता है।

ऐसे समय में जब राज्य 50,000 करोड़ रुपये के ऋण जाल को छू रहा है, सरकार को संयम बरतना चाहिए और व्यर्थ व्यय में लिप्त नहीं होना चाहिए, जिससे आसानी से बचा जा सके।

हालाँकि, सरकार का ध्यान अपने मंत्रियों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के आराम, विलासिता और मांगों को पूरा करने में लगा है। भाजपा सरकार ने अपने नेताओं की महत्वकांक्षा को शांत करने की कोशिश में, विधान सभा में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के पद सृजित करने में एक बार भी नहीं सोचा।

सरकार की वित्तीय सेहत बहुत गंभीर होने के बावजूद इन राजनीतिक नियुक्तियों के लिए घरों, लक्जरी वाहनों को वेतन देने के लिए व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद से एक ओर 3000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उठाया गया है। और इस राशि को लोगों के कल्याण के लिए विकास कार्यों पर खर्च करने के बजाय, मंत्रियों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की विलासिता को पूरा करने के लिए धन की बौछार की जा रही है। हाल ही में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का वेतन और टीए डीए दोगुना कर दिया गया है।

हॉर्टिकल्चर मिशन परियोजना रद्द होना संभावित

राज्य में सेब की फसल में सुधार के लिए 2016 में कांग्रेस शासन के दौरान 1134 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, भाजपा सरकार के गठन के बाद परियोजना विश्व बैंक द्वारा रद्द किए जाने की कगार पर है। बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह और बागवानी विभाग के प्रधान सचिव, जगदीश शर्मा के बीच लड़ाई के कारण राज्य इतनी बड़ी परियोजना को खो देता। मंत्री ने बाद में उक्त अधिकारी को हटा दिया क्योंकि वह परियोजना के विनिर्देशन में बदलाव के लिए मंत्री द्वारा लगाए जा रहे दबाव के आगे नहीं झुके। इस साल परियोजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक आयातित फल पौधों को इटली की एक कंपनी वीटा फूट को सप्लाई ऑर्डर देने में देरी के कारण मरण का सामना करना पड़ा।

वीटा फूट कंपनी ने एचपी बागवानी विकास परियोजना के परियोजना निदेशक को सूचित किया था कि वे पौधों के खराब अस्तित्व के मामले में कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि सरकार द्वारा आपूर्ति आदेश देने में देरी हुई थी। पौधे अप्रैल में पहुंचे क्योंकि आपूर्ति आदेश देने में देरी हो गई थी, कंपनी ने मई, 2018 में परियोजना निदेशक को एक पत्र लिखा था, जिसमे इसका लेख है। यहां तक भी बताया कि जब तक पौधे कुल्लू में बाजौरा नर्सरी में पहुंचेगे तापमान लगभग 32 से 36 डिग्री था। इससे कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और फलस्वरूप राज्य सरकार को नुकसान हुआ।

600 करोड़ का ब्रिक्स प्रोजेक्ट 2 विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित

हिमाचल राज्य के लिए जलापूर्ति योजनाओं के सुधार के लिए ब्रिक्स द्वारा 600 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए धर्मपुर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रतिनिधित्व वाले केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों की योजनाओं को मुख्य रूप से परियोजना के तहत शामिल किया गया था। यह राज्य में बाकी विधानसभा क्षेत्रों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव का स्पष्ट मामला है।

चहेतों को विवादित होने के बावजूद बेहतर नियुक्ति

राज्य भर में पर्यटन, एचआरटीसी, एचपीएसईबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग जैसे विभिन्न विभागों में दागी और विवादास्पद अधिकारियों को बेहतर पोस्टिंग दी गई है। एक अधिकारी, जिन्हें एचपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनात किया गया था, को पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है और फिर उन्हें रातों – रात पर्यटन एशियाई विकास बैंक एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी दी है। यह

शेष पृष्ठ 6 पर.....

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HP PWD Kasauli Distt. Solan HP on behalf of Governor of HP invites the online bids on item rate, in electronic tendering system,in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors.Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Time	Form No.	Cost of form
	Construction of Missing Culvert on Bjojnagar Neri kalan road via Tikkari km 0/0 to 7/855 (SH:- C/O 3.00 mtr Span RCC Slab Culvert at RD 0/975)	7,39,234/-	14,800-	Three Month		350/-

Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **https://hptenders.gov.in.** Bidder would be requird to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized certifying authorities (CA) "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **https://hptenders.gov.in.** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

2. Key dats.

1. Date of Online Publication	2-01-2019 at 10.30 AM
2. Document Download Start Date	2-01-2019 at 11.00 AM
3. Bid Submission Start and End Date	2-01-2019 at 11.00 A.M to 15-01-2019 at 4.00PM
4. Physical Submission of EMD and cost of tender Document	16-01-2019 at 10.30 AM
5. Date of Opening of technical/ financial Bid	16-01-2019 at 11.00 AM

3. TENDER DETAILS:

i) The tender Document shall be uploaded online in 2 cover:

Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Doucments/ Eligibility information"**

ii) Cover 2: Shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.

iii) SUBMISSION OF ORGINAL DOCUMENTS: The bidder are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Document in **O/o Executive Engineer HPPWD Kasauli H.P.** as specified in Key dates Sr. No. 2 on tender opening date, failing which the bids will be declared Non-responsive

iv) BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 16-01-2019 11.00 AM AM in the office Executive Engineer Kaauli Division HP.PWD Kasauli HP. by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be colsed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

v) The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90/120 days after the deadline date for bid submission.

vi) Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any infoarmion not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.3763/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है।।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कहां है यह 50000 करोड़ का निवेश

जयराम सरकार ने सत्ता में एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर सरकार की ओर से धर्मशाला में वैसा ही एक बड़ा आयोजन किया गया जैसा कि एक वर्ष पहले सत्ता संभालते हुए शिमला में किया गया था। दोनो अवसरों पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मौजूद रहे हैं। यह सरकार के लिये एक अच्छा संदेश रहा है। इस एक वर्ष का आंकलन प्रधानमन्त्री और केन्द्र सरकार की नज़र में क्या रहा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमन्त्री के अनुसार इस समय प्रदेश में केन्द्र की ओर से 36000 करोड़ की योजनाएं चल रही है। यह जानकारी प्रधानमन्त्री ने धर्मशाला मे अपने संबोधन में दी है। इससे पूर्व सोलन के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा ने यह दावा किया है कि प्रदेश के लिये 5000 करोड़ की और परियोजनाएं पाईप लाईन में है। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर पहले ही 9000 करोड़ की योजनाएं प्रदेश को मिल चुकी होने की जानकारी प्रदेश की जनता के साथ सांझा कर चुके हैं। इस तरह प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर सबके द्वारा दिये गये आंकड़ो को जोड़कर देखा जाये तो यह राशी 50,000 करोड़ बन जाती है। अब जब इतने बड़े स्तर के नेता यह आंकड़े प्रदेश की जनता को परोस रहे हैं तो स्वभाविक है कि इसे झूठ नही माना जा सकता। इसलिये आज प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि इस 50000 करोड़ के आंकड़े का पूरा विवरण क्या है? वह कौन -कौन सी योजनाएं हैं जिन पर 36000 करोड़ के निवेश का काम चल रहा है और शेष 14000 करोड़ की योजनाएं कौन सी हैं जो प्रदेश को मिली हैं और उन पर काम कब तक शुरू हो जायेगा। क्योंकि यह पचास हजार करोड़ का आंकड़ा प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ी बात है। जबकि इस समय प्रदेश का कर्जभार ही पचास हजार करोड़ को पहुंच चुका है। प्रदेश सरकार अब तक बजट में दर्ज पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ही 3500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

इस परिदृश्य में यदि प्रधानमन्त्री की जानकारी सही है कि प्रदेश में केन्द्र की ओर से 36000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं तो यह आंकड़ा प्रदेश के कुल बजट के आंकड़े से कहीं बड़ा है। क्योंकि 36000 करोड़ के निवेश से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या पर कुछ तो अंकुश लगना चाहिये था। प्रदेश सरकार को आऊटसोर्स के माध्यम से एक चौथाई वेतन पर कर्मचारियों की भर्ती करने की नौबत नही आती है। आज जिस ढंग से चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिये बी.ए. और एम.ए. पास नौजवानों के कतारों में खड़े होने की खबरें आ रही हैं उससे इन निवेश के आंकड़ो की प्रमाणिकता पर स्वत: ही एक बड़ा सवाल लग जाता है। अभी अगले वर्ष मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल अभी से इन चुनावों की तैयारीयों में जुट गये हैं। ऐसे में यह निवेश का आंकड़ा एक दोधारी तलवार सिद्ध हो सकता है। यदि यह सही हुआ तो इससे विपक्ष का गला कटेगा और यदि यह गलत हुआ तो यह अपनी ही गर्दन काट देगा। क्योंकि इस समय प्रदेश पर जो पचास हजार करोड़ का कुल कर्ज है वह एक लम्बे अरसे से इकट्ठा होता चला आ रहा है इसमें हर वर्ष कुछ न कुछ जुड़ता रहा है। इसका बड़ा भाग प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पैन्शन पर खर्च होता रहा है। यहां तक की कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लिया जाता रहा है। लेकिन अभी किसी सरकार ने केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में एक मुश्त इतने बड़े निवेश का दावा नही किया है। ऐसे में दावे की हकीकत जानने का हर आदमी को हक है।

मुख्यमन्त्री ने अपने इस एक वर्ष के कार्यकाल को ''ईमानदार प्रयास का एक वर्ष'' कहा है। मुख्यमन्त्री के इस कथन को एक हदतक माना जा सकता है क्योंकि उन्होने कोई बड़ा दावा अब तक ऐसा नही किया है जिस पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया जायें लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष यह भी है कि जयराम 1998 से लगातार विधायक चले आ रहे हैं। इस दौरान दो बार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकारें रह चुकी हैं और वह एक बार मन्त्री तथा एक बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस नाते उन्हे प्रदेश का अनुभव होना ही चाहिये। बतौर विपक्ष जयराम के नेतृत्व में भी वीरभद्र शासन के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा गया है। विपक्ष में रहते हुए लगातार वीरभद्र सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबोने का आरोप लगाते रहे हैं। 1993 से 1998 के बीच हुई चिट्टो पर भर्तियों की जांच रिपोर्ट भी जयराम के सामने ही आयी है। उन रिपोर्टो पर कोई कारवाई क्यों नही हुई वह भाजपा और जयराम अच्छे से जानते हैं मैं उस ब्योरे में नही जाना चाहता लेकिन इस सबके जिक्र से यह सवाल तो उठता ही है कि जो गलतियां पिछली सरकारों के वक्त में हुई हैं क्या उनको आज दोहराने के लिये लाईसैन्स के रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है? शायद नही। जयराम को कर्ज विरासत में मिला है लेकिन आज उसको दोहराने में फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है। राजभवन से लेकर मन्त्रीयों तक की मंहगी गाड़ियां चर्चा में आ चुकी हैं। चिट्टो पर भर्तियों के स्थान पर आऊटसोर्स पर भर्तीयां की जाने लगी है। इस तरह ऐसे अनेक मामलें हैं जहां सरकार की दूरदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। बेशक कांग्रेस का आरोप पत्र कोई बड़ा प्रभावी दस्तावेज नही है लेकिन अब जिस तरह से वीरभद्र और उनका बेटा अपने स्वर बदलते जा रहे हैं उसे हल्के में लेना गलत होगा। फिर सरकार में जिस तरह से कुछ मन्त्रीयों की असहजता चर्चा में आ गयी है और कुछ विधायक भी मुखर होते जा रहे हैं यह जयराम के भविष्य के लिये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जयराम को मोदी का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल है यह धर्मशाला में सामने आ चुका है। जयराम ने भी बदले में मोदी को यह भरोसा दिला दिया है कि वह हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। पांच राज्यों में मिली हार के बाद केन्द्र में जिस तरह से गडकरी जैसे लोगों की प्रतिक्रियाएं आयी हैं वह केन्द्र के भविष्य के प्रति भी गंभीर संकेत है। इस परिदृश्य में प्रदेश में पचास हजार करोड़ के निवेश का जो आंकड़ा अचानक सामने आ गया है वह घातक भी सिद्ध हो सकता है।

असहिष्णुता की बात करने वाले इस देश को समझ नहीं पाए

कुछ लोग भारत के हिन्दू और मुसलमानों को नाहक में बरगला रहे हैं। मीडिया के द्वारा बराबर प्रचार किया जाता है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इस देश में समझदार लोग जिंदा हैं और भारत का संविधान प्रभावी है तब तक इस देश में असहिष्णुता किसी कीमत पर नहीं आ सकती है।

आज मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो इस देश में पनप रहे मौका परस्तों की आंखें खोल देगा। एक हिन्दू परिवार द्वारा मुस्लिम लड़के का पालन- पोषण किया गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है हकीकत है कि थाने, महाराष्ट्र स्थित बेडेकर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. सुचित्रा नायक ने अब्दुल शेख नामक ऐसे अनाथ मुस्लिम लड़के को गोद लिया, जिसने उनके कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया था। दाखिले के दौरान उससे बातचीत करने पर डॉ. सुचित्रा को उसकी स्थिति के बारे में पता चला और उसका भविष्य संवारने के लिए उन्होंने उसे अपनाने का मन बनाया। ऐसा करने से पहले उन्होंने अपने पति श्री नायक तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भी परामर्श किया, जिन्होंने उनके इस प्रयास के प्रति अपनी सहमति जताई। अब्दुल को एक भरा-पूरा परिवार मिल गया और वह नायक परिवार का सदस्य बन गया। बाद में उसे स्थानीय डाकखाने में नौकरी मिल गयी तो परिवार ने उसकी शादी किसी मुस्लिम लड़की से करने का फैसला किया। डॉ. सुचित्रा नायक तथा उनके पति, अब्दुल के लिए एक योग्य वधु ढुढनें में जुट गए और जल्द ही उन्हें बरसोवा के अंजुमन -ए -इस्लाम बावला अनाथालय में एक योग्य मुस्लिम लड़की ढुढनें में सफलता मिली। परिणामस्वरूप अभी हाल ही में 4 नवम्बर 2018 को अब्दुल शेख का निकाह उस अनाथ लड़की नइमा शेख के साथ संपन्न हुआ। इस तरह की भलाई तथा सहिष्णुता के कदम सांप्रदायिक सद्भावना तथा परस्पर सहिष्णुता, जो हिन्दुस्तान के समाजिक ताने-बाने में गुंदे हुए हैं जो हमारे समाज को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है।

एक उदाहरण हैदराबाद का है। हैदराबाद के कुंता मोहल्ले में मस्जिद-ए-इशाक ने वहां रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदाय के लगभग डेढ़ लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस मस्जिद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों का ईलाज करने के अलावा उन्हें राज्य द्वारा चलाए जाने वाले 30 अस्पतालों में रैफर किया जाता है ताकि ये मरीज वहां दाखिला लेकर उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ले सकें और वहां पर तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों की व पैरामेडिकल सेवाओं का लाभ ले सकें। यहां पर गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों के लिए टीकाकरण तथा छुआछूत की बीमारियों की भी जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उत्तार प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के लडेवाला गांव में स्थित एक मंदिर, बाबरी मस्जिद की घटना के बाद से विरान पड़ा था, की देख-रेख, साफ-सफाई तथा नियमित सफेदी इत्यादि वहां के स्थानीय मुसलमानों द्वारा करवाई जाती है। गांव के मुसलमान उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब उनके हिन्दू भाई गांव लौटें और उस मंदिर के धार्मिक रीति-रिवाज पुन: आरंभ करें। इस मंदिर का रख-रखाव करने के लिए गांव के मुसलमान आपस में चंदा भी जुटाते हैं।

वहीं उत्तार प्रदेश के मुजफ्फरपुर में ही नन्हेरा गांव में रहने वाले एक हिन्दू मिस्त्री का परिवार गांव के स्थित एक 120 वर्ष पुरानी मस्जिद का ध्यान रखते हुए वहां सफाई करवाता है। देख-भाल करता है तथा नियमित तौर पर सफेदी इत्यादि करवाता है। गौरतलब है कि इस गांव में कोई मुस्लिम नहीं रहता। गुजरात के बड़ेदरा जिले में स्थित तरसाली गांव में एक-घंटे लंबा कव्वाली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कौवालों ने पवनपुत्र हनुमान का गुणगान करते हुए बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली कव्वालियां गायी। जानकारी में रहे कि यहां प्रत्येक शनिवार को इलाके के करीब तीन हजार लोग जिनमें 500 मुसलमान भी हैं, इस मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी का आर्शीवाद पाते हैं। यह अंतरधार्मिक सहिष्णुता का जीता-जागता उदाहरण है।

सदभावना व अंतरधर्मी सहिष्णुता का उदाहरण पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के गांव बाघसराय में रहने वाले एक स्थानीय मुसलमान मोहम्मद सलीम ने अपने हिन्दू मेहमानों के लिए ऐसे निमंत्रण पत्र छपवाए जिनमें हिन्दू देवी-देवता, जैसे-श्रीराम, सीता व पवित्र वस्तुएं, जैसे-पूजा की थाली, कलश व दीपक इत्यादि छपे हुए थे। सलीम को उम्मीद है कि उनके छोटे से प्रयास से हिन्दू और मुसलमानों के बीच सदभाव व प्रेम बढ़ेगा।

मैं शर्तीया तौर पर बताना चाहूंगा कि जब तक हमारे देश में यह जिंदा है हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमारे दुश्मन धूल चाटेंगें और आने वाले समय में चाटते रहेंगे। इस सहिष्णुता को कोई मिटा नहीं सकता है। हमें इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रचारित भी करना चाहिए। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा साथ ही सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन को इस प्रकार के कार्यो में सहयोग करना चाहिए और मीडिया को इस प्रकार के कार्यों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

''हसन जमालपुरी''

जनवरी में बीजेपी का संविधान संशोधन होगा या अमित शाह अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड देगें...

''पुण्य प्रसून बाजपेयी''

गुजरात में कांग्रेस नाक के करीब पहुंच गई। कर्नाटक में बीजेपी जीत नहीं पाई। कांग्रेस को देवेगौडा का साथ मिल गया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ में पन्द्रह बरस की सत्ता बीजेपी ने गंवा दी। राजस्थान में बीजेपी हार गई। तेलंगाना में हिन्दुत्व की छतरी तले भी बीजेपी की कोई पहचान नहीं और नार्थ इस्ट में संघ की शाखाओं के विस्तार के बावजूद मिजोरम में बीजेपी की कोई राजनीतिक जमीन नहीं। तो फिर पन्ने पन्ने थमा कर पन्ना प्रमुख बनाना। या बूथ बूथ बांट कर रणनीति की सोचना, या मोटरसाईकिल थमा कर कार्यकत्ता में रफ्तार ला देना, या फिर संगठन के लिये अथाह पूंजी खर्च कर हर रैली को सफल बना देना और बेरोजगारी के दौर में नारों के शोर को ही रोजगार में बदलने का खेल कर देना। फिर भी जीत ना मिले तो क्या बीजेपी के चाणक्य फेल हो गये है या जिस रणनीति को साध कर लोकतंत्र को ही अपनी हथेलियों पर नचाने का सपना अपनो में बांटा अब उसके दिन पूरे हो गये हैं। क्योंकि अर्से बाद संघ के भीतर ही नहीं बीजेपी के अंदरखाने में भी ये सवाल तेजी से पनप रहा है कि अमित शाह की अध्यक्ष के तौर पर नौकरी अब पूरी हो चली है और जनवरी में अमित शाह को स्वत ही अध्यक्ष की कुर्सी खाली कर देनी चाहिये। यानी बीजेपी के संविधान में संशोधन कर अब जितने दिन अमित शाह अध्यक्ष बने रहे तो फिर बीजेपी में अनुशासन। संघ के राजनीतिक शुद्धिकरण की ही धज्जियां उडती चली जायेंगी। यानी जो सवाल 2015 में बिहार के चुनाव में हार के बाद उठा था और तब अमित शाह ने तो हार पर ना बोलने की कसम खाकर खामोशी बरत ली थी। पर तब राजनाथ सिंह ने मोदी – शाह की उड़ान को देखते हुये कहा था कि अगले छह बरस तक शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेगें। लेकिन संयोग से 2014 में 22 सीटें जीतने वाली बीजेपी पर उसकी अपनी रणनीति के तहत अमित शाह ने ही कतर कर 17 सीटों पर समझौता कर लिया। उससे संकेत साफ उभरे कि अमित शाह के ही वक्त रणनीति ही नहीं बिसात भी कमजोर हो चली है। जो रामविलास पासवान से कहीं ज्यादा बडा दांव खेल कर अमित शाह किसी तरह गठबंधन के साथियों को साथ खडा रखना चाहते हैं। क्योंकि हार का ठीकरा समूह के बीच फूटेगा तो दोष किसे दिया जाये इस पर तर्क गढ़े जा सकते हैं लेकिन अपने बूते चुनाव लडना। अपने बूते चुनाव लड़कर जीतने का दावा करना और हार होने पर खामोशी बरत कर अगली रणनीति में जुट जाना। ये सब 2014 की सबसे बडी मोदी जीत के साथ 2018 तक तो चलता रहा। लेकिन 2019 में बेडा पार कैसे लगेगा। इस पर अब संघ में चिंतन मनन तो बीजेपी के भीतरी कंकडो की आवाज सुनाई देने लगी है। और साथी सहयोगी तो खुल कर बीजेपी के ही एंजेडे की बोली लगाने लगे है। शिवसेना को लगने लगा है कि जब बीजेपी की धार ही कुंद हो चली है तो फिर बीजेपी हिन्दुत्व का बोझ भी नहीं उठा पायेगी और राम मंदिर तो कंधो को ही झुका देगा। तो शिवसेना खुद को अयोध्या का द्वारपाल बताने से चुक नहीं रही है। खुद को ही राममंदिर का सबेस बड़ा हिमायती बताते वक्त ये ध्यान दे रही है कि बीजेपी का बंटाधार हिन्दुत्व तले ही हो जाये। जिससे एक वक्त शिवसेना को वसूली पार्टी कहने वाले गुजरातियों को वह दो तरफा मार दे सके। यानी एक तरफ मुबंई में रहने वाले गुजरातियों को बता सके कि अब मोदी – शाह की जोडी चलेगी नहीं तो शिवसेना की छांव तले सभी को आना होगा और दूसरा धारा – 370 से लेकर अयोध्या तक के मुद्दे को जब शिवसेना ज्यादा तेवर के साथ उठा सकने में सक्षम है तो फिर संघचालक मोहन भागवत सिर्फ प्रणव मुखर्जी पर प्रेम दिखाकर अपना विस्तार क्यों कर रहे हैं। उनसे तो बेहतर है कि शिवसेना के साथ संघ भी खड़ा हो जाये यानी अमित शाह का बोरिया बिस्तर बांध कर उनकी जगह नीतिन गडकरी को ले आये। जिनकी ना सिर्फ शिवसेना से बल्कि राजठाकरे से भी पटती है और भगोडे कारपोरेट को भी समेटने में गडकरी कहीं ज्यादा माहिर है। गडकरी की चाल से फडनवीस को भी पटरी पर लाया जा सकता है जो अभी भी मोदी – शाह की शह पर गडकरी को टिकने नहीं देते और लड़ाई मुबंई से नागपुर तक खुले तौर पर नजर आती है।

यूं ये सवाल संघ के भीतर ही नहीं बीजेपी के अंदरखाने भी कुलाचे मारने लगा है कि मोदी – शाह की जोडी चेहरे और आईने वाली है। यानी कभी सामाजिक – आर्थिक या राजनीतिक तौर पर भी बैलेंस करने की जरुरत आ पड़ी तो हालात संभलेगें नहीं। लेकिन अब अगर अमित शाह की जगह गडकरी को अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी जाती है तो उससे एनडीए के पुराने साथियों में भी अच्छा मैसेज जायेगा। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस तीन राज्यो में जीत के बाद समूचे विपक्ष को समेट रही है और विपक्ष जो क्षत्रपों का समूह है वह भी हर हाल में मोदी – शाह की हराने के लिये कांग्रेस से अपने अंतर्विरोधों को भी दरकिनार कर कांग्रेस के पीछे खड़ा हो रहा है। उसे अगर साधा जा सकता है तो शाह की जगह गडकरी को लाने का वक्त यही है क्योंकि ममता बनर्जी हो या चन्द्रबाबू नायडू, डीएमके हो या टीआर एस या बीजू जनता दल। सभी वाजपेयी – आडवाानी – जोशी के दौर में बीजेपी के साथ इसलिये गये क्योंकि बीजेपी ने इन्हें साथ लिया और इन्होंने साथ इसलिये दिया क्योंकि सभी को काग्रेंस से अपनी राजनीतिक जमीन के छिनने का खतरा था। लेकिन मोदी – शाह की राजनीतिक सोच ने तो क्षत्रपों को ही खत्म करने की ठान ली और पैसा, जांच एंजेसी, कानूनी कारवाई के जरीये क्षत्रपो का हुक्का – पानी तक बंद कर दिया। पासवान भी अपने अंतर्विरोधों की गठरी उठाये बीजेपी के साथ खडे हैं। सत्ता से हटते ही कानूनी कारवाई के खतरे उन्हें भी है। सत्ता छोड़ने के बाद सत्ता में भागेदारी का हिस्सा सूई की नोंक से भी कम हो सकता है। लेकिन यहां सवाल सत्ता के लिये बिक कर राजनीति करने वाले क्षत्रपों की कतार भी कितनी पाररदर्शी हो चुकी है और वोटर भी कैसे इस हकीकत को समझ चुका है ये मायावती के सिमटते आधार तले मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ में बाखूबी उभर गया। लेकिन आखरी सवाल यही है कि क्या नये बरस में बीजेपी और संघ अपनी ही बिसात जो मोदी – शाह पर टिकी है उसे बदल कर नई बिसात बिछाने की ताकत रखती है या नहीं। उहापोह इस बात को लेकर है कि शाह हटते तो नैतिक तौर पर बीजेपी कार्यकत्ता इसे बीजेपी की हार मान लेगा या रणनीति बदलने को जश्न के तौर पर लेगा। क्योंकि इसे तो हर कोई जान रहा है कि 2019 में जीत के लिये बिसात बदलने की जरुरत आ चुकी है। अन्यथा मोदी की हार बीजेपी को बीस बरस पीछे ले जायेगी।

नए सीए स्टोर और ग्रेडिंग–पैकिंग हाउस स्थापित करेगा एचपीएमसी

पिछले कुछ वर्षो में राज्य फल उत्पादन में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) राज्य में नये कोल्ड स्टोरेज स्टोर और पैकिंग हाउस को स्तरोन्नत करने के साथ – साथ नए सी.ए स्टोर और पैकिंग हाउस स्थापित करने जा रहा है।

विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में 1134 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत राज्य में उगाए जाने वाले फलों के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए अधोसंरचना को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है। परियोजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के घटक को एचपीएमसी कार्यान्वित कर रही है। मौजूदा ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस को स्तरोन्नत किया जाएगा और इस परियोजना के तहत एचपीएमसी द्वारा 3380 मीट्रिक टन से 10,000 मीट्रिक टन तक नियंत्रित वातावरण स्टोर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, परवाणु और जरोल के प्रसंस्करण संयंत्रों को भी नई सुविधाओं का निर्माण करके उन्नत बनाया जाएगा।

परियोजना को लागू करने और विश्व स्तर के मानकों से मेल खाने वाली सुविधाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सलाहकारों को परामर्श सेवा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। मैसर्ज ग्रांट थोरंटन को परियोजना का प्रसंस्करण घटक सौंपा गया है जिसके तहत प्रसंस्करण सुविधाओं की प्रौद्योगीकियों को उन्नत किया जाएगा और परवाणू और जरोल संयंत्रों में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। फल प्रसंस्करण संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 2500 मीट्रिक टन की जाएगी।

निगम की योजना है कि इन

सुविधाओं में सेब पोमेस का उपयोग उच्च मूल्य पेक्टिन और खाद के रूप में किया जाए, जो निगम के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करेगा। उन्नत मशीनें निगम को संसाधित फलों की गुणवत्ता और कीमत के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहयता मिलेगी।

परियोजना के अंतर्गत, जिला शिमला के पराला और चंबा में फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो निगम की प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि करेगा तथा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे गए प्रसंस्करण ग्रेड सेब का उपयोग करेगा। फल उगाने वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे इन पौधों से बेहतर जूस निकलेगा और परिवहन लागत भी कम हो जाएगी।

प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी मदन चौहान का कहना है कि इन सुविधाओं को 130 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्तरोन्नत किया जाएगा। परियोजना की कोल्ड चेन घटक के लिए, मैसर्ज वैगेनिगेन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, नीदरलैंड और मैसर्स ग्लोबल एग्री सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ परामर्श व्यवस्था की गई है। सलाहकार मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करने, नए पैकिंग एवं ग्रेडिंग हाउस और नियंत्रित वातावरण भंडार के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता लाएंगे। सलाहकारों की एक टीम ने हाल ही में राज्य बागवानी विकास परियोजना और एचपीएमसी के अधिकारियों के साथ शिमला में विचार – विमर्श किया।

निगम जरोल – टिक्कर में चेरी फल के लिए एक हाइड्रो कूलिंग सुविधा प्रदान करने की भी योजना बना रहा है, जो फलों को अधिक समय तक ताजा रखने में सहायक होगी और दूर के बाजारों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। इससे किसानों को अपने उत्पाद के बेहतर दाम भी मिल सकेंगे।

जरोल – टिक्कर, गुम्मा, ओडी व रोहडू में मौजूदा सीए स्टोर की क्षमता को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2000 मीट्रिक टन किया जाएगा। क्षमता में वृद्धि से किसानों को बेहतर और लंबे समय तक भंडारण की सुविधा मिलने से अपनी उपज के लिए बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से नवीनतम शीतलन प्रणाली उपलब्ध होगी।

कोल्ड चेन परियोजना के सलाहकारों ने ग्रेडिंग और पैकिंग सुविधाओं के उन्नयन और जरोल – टिक्कर, गुम्मा और रोहडू में सीए स्टोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। जरोल – टिक्कर में हाइड्रो कूलिंग सुविधा के लिए विस्तृत रिपोर्ट भी दी गई है। निगम यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के तहत पोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को समय सारिणी के भीतर चालू किया जाए ताकि परियोजना के लाभ सीधे राज्य के किसानों को मिल सकें।

इस परियोजना के तहत उन स्थानों पर ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस और सीए स्टोर स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां ऐसी सुविधाएं अभी उपलब्ध नही है। इस तरह के बुनियादी ढांचे को जिला मंडी के बगसैड़, जिला कुल्लू के चैवाई, जिला किन्नौर के गियाबोंग और चंबा जिला के भरमौर, सलूणी और पांगी में भी स्थापित किया जाएगा। जिला कुल्लू में अनार के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए भुंतर में एक पैकिंग और ग्रेडिंग सुविधा की स्थापना की भी योजना है। कोल्ड चैन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1100 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

यह है कांग्रेस का सरकार के खिलाफ आरोप पत्र

.....पृष्ठ 3 का शेष

आश्चर्य की बात है कि उक्त अधिकारी, जिसका नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कसौली में होटलों के अवैध निर्माण से संबंधित मामले में दिए गए फैसले में भी है, को ये पोस्टिंग दी गई है। सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति एनजीटी द्वारा पर्यवेक्षी वैधानिक प्राधिकरण के रूप में उनके कामकाज पर प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, की गई है।

सुंदर पहाड़ी राज्य में बिगड़ती कानून और प्रशासनिक व्यवस्था

एक वर्ष की छोटी अवधि में, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई। 100 से ज्यादा हत्याएं, 250 रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध और एनडीपीएस के एक हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अधिकांश मामलों में पुलिस मामलों को सुलझाने में विफल रही है। सीबीआई होशियार सिंह और गुडिया के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही, जिसे भाजपा ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। मामले और भी बदतर हो गए, जब एक सहायक टाउन प्लानर शैल बाला को एक होटल मालिक द्वारा एक अवैध भवन विध्वंस अभियान के दौरान गोली मार दी गई थी।

पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में आरोपी मौके से भाग गए। हिमाचल जैसे शांतिपूर्ण राज्य में ड्यूटी करते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या करने का यह पहला मामला था। अन्य प्रमुख मामलों में शिलाई में दलित नेता केदार जिंदन की हत्या और बद्दी में एक निजी स्कूल के एक प्रधानाचार्य की हत्या शामिल है, इसके अलावा कई अन्य बिगड़ते कानून और व्यवस्था का प्रमाण है जहां आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। भाजपा नेताओं और पुलिस के राजनीतिक संरक्षण के तहत अवैध मादक पदार्थों का कारोबार भी फल-फूल रहा है। सरकार की न्याय एवं कानून व्यवस्था पर इस ढील के चलते नशे के सौदागर हिमाचल जैसी शांत एवं भौगोलिक तौर पर विषम प्रदेश में भी आसानी से अपने पांव पसार रहा है एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में उछाल आया है।

सरकार को नियंत्रित करता आरएसएस

हिमाचल में यह कोई रहस्य नहीं है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय जो एक सार्वजनिक कार्यालय है, आरएसएस का कार्यालय बन गया है आरएसएस जो एक अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार प्राधिकरण बन गया है। स्पेशल डयूटी ओएसडी सभी अधिकारी सीएम के राजनीतिक सलाहकार और सीएम कार्यालय में तैनात अधिकारी आरएसएस की विचारधारा के हैं। ये नियुक्तियां सीएम ने नहीं बल्कि आरएसएस कार्यालय ने की है। वर्तमान भाजपा सरकार में, प्राइम पोस्टिंग में वरीयता योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस की विचारधारा से संबंधित लोगों को दी जाती है।

जनमंच एक राजनीतिक स्टेज

जन मंच के नाम से एक नया कार्यक्रम भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिस पर कई करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह भाजपा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए एक मंच बन गया है और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए नहीं। हर महीने हर जिले में एक जनमंच आयोजित होता है और सभी जिला स्तर के अधिकारियों को वहाँ उपस्थित होना पड़ता है, जिसकी अध्यक्षता एक मंत्री करता है। सरकारी अधिकारियों को पूर्ण सार्वजनिक तौर पर मंच में राजनीतिक धौंस से अपमानित किया जाता है। यह पूर्ण विफल कार्यक्रम और समय और धन की बबार्दी है जिससे जनता को बहुत असुविधा हो रही है।

प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक सेहत

राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। राजकोषीय विवेक का प्रयोग करने और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखने के बजाय, सरकार अनावश्यक खर्च करने में संलग्न है। एक वर्ष के भीतर 3500 करोड़ रुपये के ऋण पहले ही जुटाए जा चुके हैं जबकि कर्ज का बोझ 50,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। राज्य को एक गहरे वित्तीय संकट में डूबने से बचाने के लिए इस फिजूल खर्च को रोकने की तत्काल आवश्यकता है।

शिमला को आवश्यक जलापूर्ति करने में सरकार विफल

शिमला के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि शिमला शहर के लोगों को 15 दिनों तक एक बून्द भर पानी की आपूर्ति नहीं हुई, जिससे वे सड़कों पर विरोध करने को मजबूर हुए। तीखी गर्मी के मौसम में तीव्र जल की कमी, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि सरकार ने पर्यटकों को शिमला से बचने के लिए एक सलाह तक जारी की, जिसने शिमला पर्यटन नगरी को बुरा नाम दिया, जो एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि लोग धरने पर बैठ गए और यहां तक कि भाजपा पार्षदों ने भी सीएम के आवास ओक ओवर के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति का आकलन करने के लिए सरकार के पूरी तरह से विफल थी क्योंकि समस्या को हल करने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। भाजपा सरकार के दावों के विपरीत, कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा, ऐसी विकराल स्थिति में, सीएम, मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य वीआईपी के घरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति थी। जब लोग पानी पाने के लिए रो रहे थे, बड़े होटल व्यवसायियों को कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में, चौपाल से भाजपा विधायक के भवन में पानी की आपूर्ति मुख्य लाइन से आपूर्ति की गई थी जो मानदंडों के खिलाफ थी। निरीक्षण के दौरान आईपीएच मंत्री ने इसे काट दिया। इससे पता चलता है कि सरकार को आम आदमी की कोई चिंता नहीं है।

अनुचित व्यक्ति को प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का कुलपति नियुक्त किया

कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति के पास न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर सिकंदर कुमार के मामले में एक अपवाद बन गया है, जो इस मापदंड को पूरा नहीं करने के बावजूद वीसी बनाए गए हैं। यही कारण था जिस की वजह से राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो एचपीयू के कुलाधिपति हैं, ने इनका नाम मंजूर करने से इनकार कर दिया था।

आरएसएस के एक व्यक्ति को वीसी के रूप में नियुक्त करने के इच्छुक, सरकार ने राज्यपाल हरियाणा के माध्यम से वीसी के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए फाइल को मंजूरी दे दी, जिन्हें उस समय एचपी का प्रभार दिया गया था जबकि आचार्य देवव्रत विदेश गए थे। आचार्य देवव्रत की वापसी से पहले जल्दबाजी में फाईल चंडीगढ़ भेज दी गई। सिकंदर कुमार राज्य में भाजपा के एससी सेल का नेतृत्व कर रहे थे जो किसी भी नियुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, गुण और पात्रता नहीं।

उन्होंने अपने आरएसएस लिंक के माध्यम से ही वीसी के पद पर स्थान बनाया, जो तब और अधिक स्पष्ट स्पष्ट हो गया जिस तरह से उन्होंने जुलूस में राजनीतिक और धार्मिक नारे लगा, और इस तरह एचपीयू के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की।

शिमला म्युन्सिपल कार्पोरेशन द्वारा भाजपा विधायक बलबीर वर्मा को गलत एनओसी

भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम शिमला से पानी और अन्य करों का कोई बकाया प्रमाण पत्र नहीं लेने के लिए गलत तरीके से एनओसी प्राप्त की क्योंकि उन्होंने एनओसी दिए जाने के समय अपने लंबित बकाये की आपूर्ति नहीं की थी। एक जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते भाजपा विधायक के लिए इस तरह से व्यवहार करना अनैतिक है।

ग्रेट खली का कुश्ती मनोरंजन प्रदर्शन का सरकारी आयोजन

कार्यक्रम का आयोजन ग्रेट खली ने मंडी और सोलन में किया था। शुरूआत में यह योजना बनाई गई थी कि युवा सेवा और खेल विभाग और खली की कंपनी इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। प्रमुख सचिव युवा सेवा और खेल ने निदेशक युवा सेवा और खेल को एकआधिकारिक पत्र लिखा, जिसमें कंपनी को 3 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

लेकिन निदेशक, युवा सेवा और खेल ने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। निदेशक के आदेशों का पालन करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनका स्थानांतरण हो गया। इस आयोजन को लेकर राज्य के लोगों द्वारा व्यापक आलोचना की गई, जिसका खेलों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन केवल राखी सावंत और सपना चौधरी जैसे नर्तकियों द्वारा मनोरंजन किया गया था।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण

सत्तारूढ़ दल से संबंधित लोगों द्वारा वन भूमि पर, सड़कों के किनारे और नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण में वृद्धि हुई है। ऐसा ही एक उदाहरण सोलन में पवन गुप्ता का है जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और उन्होंने कोटला नाले में नाले का अतिक्रमण और अवरुद्ध कर दिया और सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए सात मंजिला व्यावसायिक इमारत का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने भवन निर्माण के दौरान राज्य राजमार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया था लेकिन प्रशासन ने बहुत आसानी से इस पर आंख मूंद ली है। चौपाल में बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा द्वारा चौपाल में वन भूमि पर अतिक्रमण के ऐसे ही मामले हैं।

आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में मेडिसिन का प्रावधान करने करने के लिए सरकार की विफलता

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार वर्ष 2018 के दौरान राज्य में आयुर्वेदिक अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने में विफल रही। चूंकि सरकार अपने फार्मेसियों के लिए कच्चे माल की खरीद करने में विफल रही, इसलिए मरीजों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि आपूर्ति अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में नहीं की जा सकी।

कंगनीधार मंडी का हेलीपैड

मंडी जिला मुख्यालय के पास कांगणीधार में हेलीपैड के निर्माण पर वन विभाग से अग्रिम मंजूरी लिए बिना अप्रैल 2018 काम शुरू कर दिया गया। वास्तव में कार्य के लिए निविदाएं भी निष्पादित होने के बाद की गई थीं और ठेकेदार को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पहले ही काम आवंटित कर दिया गया था।

बेरोजगारी भत्ते को बंद करना

एक ऐसा कदम जो युवा विरोधी और गरीब विरोधी है, भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन द्वारा शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना को रोक दिया। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित की रक्षा करने के बजाय जो बेरोजगार हैं और इस योजना के माध्यम से कौशल हासिल कर सकते हैं, भाजपा ने राजनीति खेल खेलने के लिए चुना और इस योजना को बंद कर दिया।

लोकायुक्त के नियुक्ति में सरकार का विफल रहना

कांग्रेस सरकार ने राजनीतिज्ञों और अन्य उच्च पदों पर आसीन लोगों के भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए लोकायुक्त का कार्यालय बनाया था। हालांकि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता का दावा करती है, लेकिन पिछली नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति करने में विफल रही है। लोकायुक्त के पद खाली पड़े हैं और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए संस्थान निरर्थक हो गया है।

रेसिन बिरोजा चोरी का केस दबाया और कमजोर किया

मंडी जिले में एचपी वन निगम और मंडी पुलिस के पंजीकृत मामलों में रेसिन बरोजा की चोरी के कई मामले थे। जिनकी जाँच में पाया गया कि चोरी किया गया बिरोजा सिरमौर जिले के सराहन में स्थित भाजपा के राज्य किसान सेल और अब राज्य कृषि और विपणन बोर्ड के अध्यक्ष के बेटे के स्वामित्व वाले कारखाने को बेचा जा रहा था।

पुलिस ने बीजेपी नेताओं के बेटे को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है और इस मामले को अब बंद कर दिया है।

वक्फ बोर्ड में धन का दुरूपयोग

वक्फ बोर्ड के सदस्यों द्वारा धन के दुरुपयोग की कई तथ्यात्मक शिकायतें हैं। यह वक्फ बोर्ड के सदस्यों के दावों के भुगतान की ओर अधिक उन्मुख है।

मनरेगा फंड का दुरूपयोग

राज्य के कई ब्लॉक खासतौर पर बंगाना, शिलाई, संगड़ाह में मनरेगा फंड के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिली हैं। लेकिन इन प्रधानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिन्होंने इन फंडों का दुरुपयोग किया है क्योंकि उनके पास भाजपा संबद्धता है, जबकि उन पंचायत प्रधानों को जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, उन्हें पिछले कारणों से निलंबित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष 2018 में कई श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी जॉब कार्ड बनाए गए हैं, ताकि वे बोर्ड के माध्यम से लाभ योजनाओं का दावा कर सकें। इन श्रमिकों ने या तो कभी भी मनरेगा श्रमिकों के रूप में काम नहीं किया है या उन्होंने ज ब कार्ड के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मनरेगा में काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 90 दिन पूरे नहीं किए हैं।

धनेटा प्राइवेट कॉलेज का सरकारी अधिग्रहण

सरकार ने हमीरपुर जिले के नादौन निर्वाचन क्षेत्र के धनेटा में एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज जोरावर प्राइवेट कॉलेज का अधिग्रहण किया है, जो बंद होने के कगार पर था, क्योंकि इस प्राइवेट कॉलेज का प्रबंधन स्थानीय भाजपा नेता से संबद्ध है, जो वर्तमान में हिमाचल परिवहन निगम में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह अधिग्रहण इस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षो से एक मौजूदा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उपलब्ध होने के बावजूद किया है इसी तरह का मामला जिला बिलासपुर में निजी कॉलेज रुल्दू राम गर्ग एसडी कॉलेज नैनादेवी के अधिग्रहण के लिए है यह सार्वजनिक धन के दुरूपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है।

मंडी हस्पताल एवं लाल बहादुर शास्त्री हस्पताल में अनियमितताएं

मंडी अस्पताल रेफर अस्पताल बन गया है। अधिकांश स्टाफ और डॉक्टरों को यहां से नेरचोक मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में जिन रोगियों को उपचार के लिए मंडी अस्पताल लाया जा रहा है, उन्हें नेरचोक भेजा जा रहा है, रोगियों और उनके साथ आने वाले लोगों को अधिक मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि वार्ड ब्वाय और स्वीपर, हेल्पर स्टाफ की भर्ती की आउटसोर्सिंग के लिए निविदा प्रक्रिया में पक्षपात देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स इस बारे में नेरचौक कॉलेज के डीन, स्वास्थ्य सचिव और राज्य सरकार के स्वास्थ्य को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो विवाद राज्य उच्च न्यायालय तक पहुंच गया।

राजनीतिक कार्यक्रम के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग

धर्मशाला में पीएम मोदी द्वारा संबोधित की जाने वाली अपनी एक साल की रैली के लिए सरकार बेशर्मी से धन और आधिकारिक मशीनरी का उपयोग कर रही है। सभी विभागों को एक अच्छी सभा सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य दिया गया है जबकि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों का इस्तेमाल लोगों को एक अच्छा शो देने के लिए किया जाता है। आत्मसंयम करने के बजाय, सरकार धन बर्बाद कर रही है।

राम लाल ठाकुर
अध्यक्ष
हर्षवर्धन चौहान
सह अध्यक्ष
गंगू राम मुसाफिर, जगत सिंह नेगी
नंद लाल, विजय पाल सिंह
सदस्य
सुखविंदर सिंह सुक्खू
अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांगेस पार्टी
मुकेश अग्निहोत्री
सीएलपी

ईमानदार प्रयास का 1 एक साल विकास का

देश के प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी

के मार्गदर्शन एवं

मुख्यमंत्री **जय राम ठाकुर**

के नेतृत्व में

देवभूमि हिमाचल में पूरी होतीं जन आकांक्षाओं का एक साल

नशे के खिलाफ़ अभियान
आईये एकजुट हो जायें
देवभूमि को नशे से बचायें

युवाओं को स्वरोज़गार व रोज़गार
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रही उद्योग लगाने के लिए 25 प्रतिशत और महिलाओं को 30 प्रतिशत सब्सिडी

महिलाओं को सौगात
'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मुफ्त दिया जा रहा 3500 रुपये मूल्य का पैकेज, इसमें नया गैस कनैक्शन, चूल्हा, भरा हुआ गैस सिलेण्डर, रेगयुलेटर, सुरक्षा पाइप व नीली पुस्तिका शामिल। अब तक 32,134 गैस कनैक्शन वितरित

जन मंच से हो रहा समस्याओं का निदान
25227 मांग पत्र व शिकायतें प्राप्त
20062 का समाधान

वृद्धावस्था पेंशन बनी सहारा
बिना आय सीमा पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे 4,90,022 व्यक्ति

जरूरतमंदों के लिए वरदान
गम्भीर बीमारी से ग्रस्त जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिये सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष गठित। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त पीजीआई चण्डीगढ़, सेक्टर-32, मेडिकल कॉलेज, चण्डीगढ़, एम्स दिल्ली में भी उपचार के लिए आर्थिक सहायता

बेटियों को अनमोल उपहार
बेटी है अनमोल योजना के तहत बेटी के जन्म पर दी जाने वाली एकमुश्त उपहार राशि 10,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये की

नवजात शिशुओं को आशीर्वाद
अटल आशीर्वाद योजना के तहत नवजात शिशुओं को दी जा रही 1500 रुपये की नव आगन्तुक किट। हर साल लगभग एक लाख शिशुओं को मिलेगा लाभ

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सरकार से जमीन लीज पर ली स्कूल भवन के लिये और बना डाली होटलनुमा सरायं

राजधानी में सनातन धर्मसभा का कारनामा

शिमला/शैल। शिमला की सनातन धर्म सभा ने फरवरी 1992 में स्कूल भवन बनाने के लिये 3744 वर्ग फुट भूमि 99 वर्ष की लीज सौ रूपये प्रतिवर्ष पर सरकार से ली थी। यह ज़मीन शिमला के गंज बाजार में स्थित एसडी स्कूल के सामने वाली पहाड़ी पर स्थित है। अब 27 वर्ष बाद इस ज़मीन पर स्कूल भवन के स्थान पर एक बड़ी सराय का निर्माण हुआ है। सराय के नाम पर हुआ यह निर्माण किसी आलीशान होटल से कम नही है सरकार द्वारा 26-2-1992 को जो लीज अनुमति हस्ताक्षरित हुई है उसमें यह कहा गया है कि ''उक्त सभा के प्रबन्धन मण्डल में प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्य रखे जायेंगे तथा इस स्कूल में 10 प्रतिशत दाखिला उन गरीब परिवारों के बच्चो को दिया जायेगा जिन्हें सरकार मनोनीत करेगी और ऐसे छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी''।

इस लीज में यह भी कहा गया है कि ''उपरोक्त पट्टा पर प्रदान की गयी सरकारी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित स्कूल के भवन के लिये ही किया जायेगा। यदि इसका उपयोग किसी और उद्देश्य के लिये किया गया तो यह भूमि सरकर को वापिस हो जायेगी और उक्त भूमि पर किये गये निर्माण का कोई भी मुआवज़ा नही दिया जायेगा।

यह लीज फरवरी 1992 में शान्ता कुमार के शासनकाल में ही दी गयी थी। 1992 के बाद से प्रदेश में तीन बार वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकारें रह चुकी हैं। दो बार भाजपा की सरकारें धूमल के नेतृत्व में और अब तीसरी बार जयराम के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सत्ता में है। यह लीज जब हुई थी तब सुरेश भारद्वाज ही शिमला के विधायक थे और आज फिर भारद्वाज ही शिमला के विधायक हैं और उन्होंने ही अब बतौर शिक्षा मन्त्री इस होटलनुमा सराय का उद्घाटन किया है। इस नाते यह नही माना जा सकता कि इस लीज और इसकी शर्तो के बारे में उन्हे कोई जानकारी नही रही हो।

लीज़ के दस्तावेजों में साफ है कि यहां पर केवल स्कूल का ही भवन बनना है जो कि नही बना। जब स्कूल का भवन ही नही बना तो उसमें गरीब बच्चों के दाखिले और उन्हे नि:शुल्क शिक्षा का भी कोई सवाल नही रहता तथा साथ ही प्रबन्धक मण्डल में दो सरकारी सदस्यों के मनोनीत होने का सवाल नही उठता। अब जब स्कूल भवन ही नही बना तो क्या सरकार लीज की शर्त के अनुसार इस सराय का अधिग्रहण करेगी? यह एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। क्या शिक्षा मन्त्री स्थानीय विधायक और प्रदेश के कानून मन्त्री होने के नाते इस लीज में लगी शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ एक बड़ा सवाल प्रदेश के प्रशासनिक तन्त्र पर भी खड़ा होता है। 1992 में मिली इस भूमि पर दो वर्ष के भीतर निर्माण होना था और ऐसा न होने पर यह लीज रद्द हो जानी थी लेकिन ऐसा नही हुआ। यही नहीं अब जब इस सराय के निर्माण का नक्शा संवद्ध प्रशासन को सौंपा गया होगा तब उसके साथ ज़मीन की मलकियत के दस्तावेज भी सौंपे गये होंगे क्योंकि ऐसा नियम है। इस जमीन की मलकियत का दस्तावेज यह लीज दस्तावेज है। जिसमें यह सारी शर्ते दर्ज हैं। ऐसे में यह स्वभाविक है कि नक्शा पास करने वाले संवद्ध तन्त्र के संज्ञान में यह अवश्य आया होगा कि इस जमीन पर तो स्कूल भवन बनना और उसके स्थान पर सराय बनायी जा रही है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इसका नक्शा ही न सौंपा गया हो लेकिन इतना बड़ा निर्माण शहर के केन्द्रीय स्थान में नक्शा पास हुए बिना हो जाना संभव नही लगता। ऐसे में यह जयराम सरकार के लिये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जायेगा कि वह इस पर क्या करती है क्योंकि इसका परिणाम बहुकोणीय होगा।

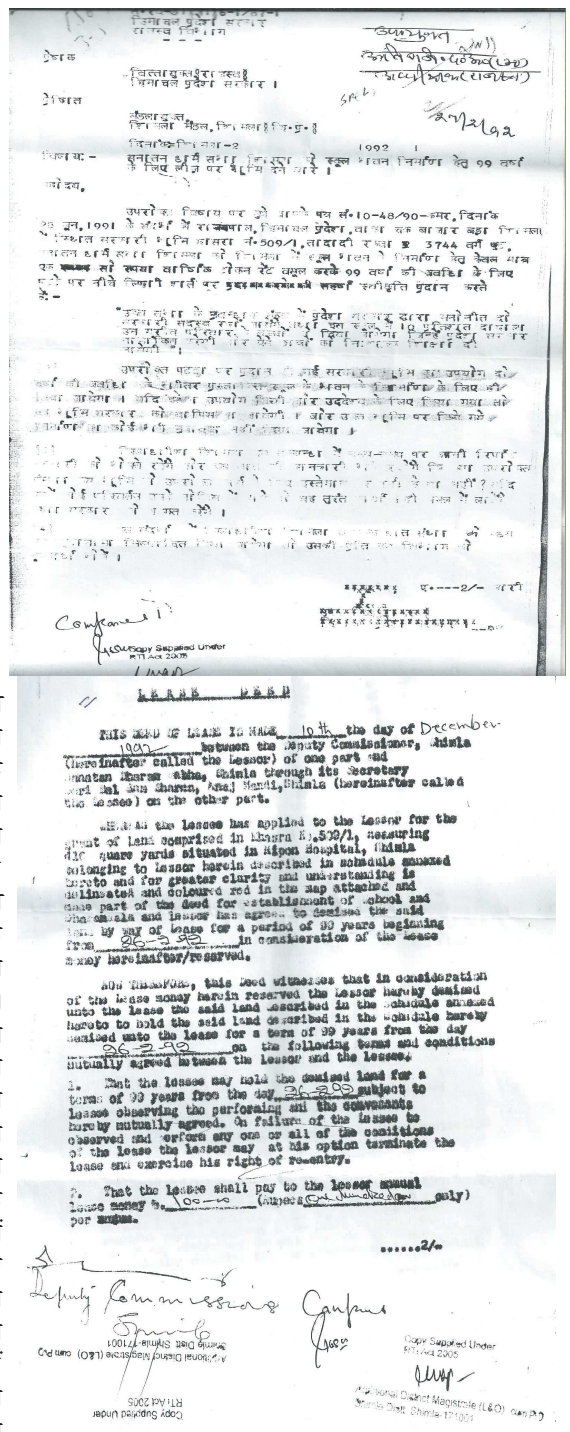

रचना गुप्ता के देवाशीष को नोटिस से उच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर शीघ्र सुनवाई की संभावना बढ़ी

शिमला/शैल। प्रदेश लोकसेवा आयोग की सदस्य डा. रचना गुप्ता ने दिल्ली के एक आरटीआई के सक्रिय कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य को उसकी सोशल मीडिया में आयी कुछ पोस्टों पर एतराज जताते हुए दिया गया है कि देवाशीष ने यह नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि उसने इन पोस्टों में डा. रचना गुप्ता के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी आपत्तिजनक नही कहा है। स्मरणीय है कि जब जयराम सरकार बनने के बाद डा. रचना गुप्ता को लोकसेवा आयोग का सदस्य लगाया गया था तब उनकी नियुक्ति की वैधता पर इसलिये सवाल उठे थे क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में इसी आयोग में सदस्य लगी मीरा वालिया की नियुक्ति पर भाजपा ने सवाल उठाये थे। बल्कि भाजपा ने प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी इस नियुक्ति को बड़ा मुद्दा बनाया था। इसलिये जब डा. रचना गुप्ता की नियुक्ति हुई और इसके लिये आयोग में सदस्यों के दो पद सृजित किये गये तब इस पर सवाल उठे थे।

जब मीरा वालिया की नियुक्ति हुई थी तब इस नियुक्ति को एक हेमराज ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हेमराज की यह याचिका अभी तक प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित चल रही है। अब माना जा रहा है कि डा. रचना गुप्ता के देवाशीष को नोटिस से इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की सम्भावना आ सकती है यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पंजाब लोकसेवा को लेकर पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले की अपील में आयी थी। पंजाब लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को एक जनहित याचिका में चुनौती दी गयी थी और उच्च न्यायालय ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया था। पंजाब सरकार अपील में सर्वोच्च न्यायालय में चली गयी और शीर्ष अदालत ने न केवल पंजाब- हरियाणा, उच्च न्यायालय के फैसले को बहाल रखा बल्कि यह निर्देश भी जारी किये कि लोक सेवा आयोगों में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट मानक और पूरी तरह परिभाषित प्रक्रिया होनी चाहिये क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन निकालने का अधिकार राज्यपाल को नही है। इसके लिये प्रक्रिया परिभाषित है जो कि शीर्ष अदालत से लेकर राष्ट्रपति तक जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला 15 फरवरी 2013 को आया था और पूरे देश पर लागू है। संयोगवश हिमाचल लोकसेवा आयोग की वर्तमान की सारी नियुक्तियां इस फैसले के बाद ही हुई है।

हेमराज की याचिका में इन सभी नियुक्तियों को चुनौती दी गयी है। क्योंकि प्रदेश लोकसेवा की नियुक्ति को लेकर आज तक कोई मानक और प्रक्रिया परिभाषित नही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस नोटिसबाजी के बाद उच्च न्यायालय में लंबित इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की संभावना आ जायेगी क्योंकि देवाशीष ने अपनी पोस्टों में अधिकांश में मानकों और प्रक्रिया पर ही सवाल उठाये हैं। ऐसे में स्वभाविक है कि वह इस याचिका पर उच्च न्यायालय में शीघ्र सुनवाई के लिये प्रयास करेगा। माना जा रहा है कि इस नोटिस का जो भी परिणाम रहेगा उसका 2019 के चुनावों पर असर पडेगा।

एडीवी पोषित योजनाओं पर मडराया खतरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित हजारों करोड़ की योजनाएं चल रही हैं पर्यटन विकास की तो लगभग सारी योजनाओं का धन एशियन विकास बैंक से ही आ रहा है। शिमला के सौंदर्यकरण की योजना इसी धन से चल रही है। पर्यटन विभाग में एशियन विकास बैंक से पोषित योजनाओं के लिये एक अलग से परियाजना निदेशक और कार्यालय तक की स्थापना की गयी है। अभी तक एशियन विकास बैंक की इन परियोजनाओं के निदेशक की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग का ही एक वरिष्ठ अधिकारी संभालता आ रहा था लेकिन अभी दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में इन परियोजनाओं के निदेशक का कार्यभार एक पर्यावरण अभियन्ता प्रवीण गुप्ता को सौंप दिया गया है।

प्रवीण गुप्ता मूलत: पर्यावरण अभियन्ता है और शुरू से ही प्रदेश के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में कार्यरत रहे हैं लेकिन पिछले दिनों सरकार ने उन्हे इस बोर्ड से हटाकर पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उन्हे पर्यटन विभाग में चल रही एशियन विकास बैंक की परियोजनाओं के निदेशक का कार्यभार भी सौंप दिया। प्रवीण गुप्ता जब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में कार्यरत थे तब कसौली के कुछ होटलों के निर्माण का मामला एनजीटी और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया था बल्कि इसी मामले में अदालत के आदेशों की अनुपालना के दौरान एक होटल मालिक ने गोली चला दी थी जिसमें एक महिला अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गयी थी।

कसौली के इस होटल प्रकरण में एनजीटी ने सरकार के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और टीसीपी के कुछ अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ नामत: कारवाई करने के निर्देश दिये हैं। इस सूची में प्रवीण गुप्ता का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जब गुप्ता को एशियन विकास बैंक की परियोजनाओं के निर्देशन का कार्यभार सौंपा गया तब कुछ लोगों ने एनजीटी के उक्त आदेशों की जानकारी एशियन विकास बैंक को दे दी।

पिछले दिनों जब एडीवी की टीम शिमला आयी थी और टाऊन हॉल का लोकार्पण मुख्यमन्त्री ने किया तब टाऊन हॉल में हुए काम की गुणवता को लेकर सवाल उठ गये थे। बल्कि इसकी जांच विजिलैन्स को देने की बात हो गयी थी। इस परिदृश्य में एडीवी ने इन परियोजनाओं के निदेशक की जिम्मेदारी एक पर्यावरण अभियन्ता को सौंपने का कड़ा संज्ञान लिया है। इसके लिये एडीवी ने राज्य के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। एडीवी के इस पत्र को राज्य सरकार ने अपने काम में दखल करार दिया है ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि सरकार और एडीवी में यह तकरार बढ़ता है तो इसका कुप्रभाव एडीवी पोषित योजनाओं पर पडेगा यह तय है।